बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

12/05/2026

सं0 :– 03/भू0अ0नि0(5)विविध(मगध प्रमंडल)–25/2024......1526 पटना, दिनांक :–

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, गया जी के पत्रांक 581 दिनांक 19.10.2024 द्वारा सुश्री कुमारी अंजली, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN12311) के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 31.07.2024 को इनकी प्रतिनियुक्ति शिविर कार्यालय टिकारी में की गयी थी, परन्तु शिविर प्रभारी द्वारा सूचित किया गया कि इनके द्वारा शिविर में योगदान ही नहीं किया गया है। साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि इस संबंध में किए गए स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर भी इनके द्वारा नहीं दिया गया है एवं दूरभाष पर संपर्क करने पर भी फोन नहीं उठाती हैं। फलस्वरूप संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय पत्रांक 475 दिनांक 28.01.2025 द्वारा सुश्री अंजली से 07 दिनों के अन्दर इस शर्त्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संविदा समाप्ति संबंधी एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है।

स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के स्थिति में निदेशालय पत्रांक 2097 दिनांक 14.05.2025 एवं अंतिम स्मार पत्रांक 1104 दिनांक 02.04.2026 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से स्पष्ट मंतव्य/अनुशंसा की मांग की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 311 दिनांक 06.04.2026 द्वारा मंतव्य दिया गया है कि सुश्री अंजली कार्य करने की इच्छुक नही हैं एवं सेवामुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन/मंतव्य का अवलोकन किया गया है। सुश्री अंजली लम्बी अवधि से अनाधिकृत अनुपस्थित हैं, इस संबंध में बंदोबस्त कार्यालय स्तर पर किए गए स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर भी इनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इसके बावजूद निदेशालय स्तर पर भी इन्हें पक्ष रखने का अवसर दिया गया है, परन्तु इनके द्वारा इसका भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया है। इस तरह का कृत्य इनके मनमानेपन, स्वेच्छाचारिता, कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना को परिलक्षित करता है। साथ बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा लगाए गए आरोपों को भी प्रमाणित करता है।

अतः बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित (संविदा) नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम – 8(4) के तहत सुश्री कुमारी अंजली, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN12311), बंदोबस्त कार्यालय, गया जी का संविदा नियोजन अनुपस्थिति की तिथि से समाप्त किया जाता है।

Suharsha 11/05/26

(सुहर्ष भगत)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(5)विविध(मगध प्रमंडल)–25 / 2024 1576 **पटना, दिनांक** :– 12/05/2026

प्रतिलिपि :– सुश्री कु० अंजली विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN12311), बंदोबस्त कार्यालय, गया जी को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(5)विविध(मगध प्रमंडल)–25 / 2024 1576 **पटना, दिनांक** :– 12/05/2026

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(5)विविध(मगध प्रमंडल)–25 / 2024 1576 **पटना, दिनांक** :– 12/05/2026

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप